

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
(आप.प्र.क.क. :- 594 / 07)  
(संस्थित दिनांक :- 26 / 09 / 2007)

म.प्र. राज्य,  
द्वारा आरक्षी केन्द्र — मौ  
जिला—भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. अतर सिंह पुत्र कप्तान सिंह उम्र 32 वर्ष  
निवासी :- ग्राम गंभीर सिंह का पुरा, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)  
..... अभियुक्त

/// निर्णय ///

( आज दिनांक : 09 / 02 / 2017 को घोषित )

01. अभियुक्त अतर सिंह पर भा.द.सं. की धारा 504, 323 / 34 एवं 324 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 11 / 08 / 2007 को फरियादी नाथूराम के घर स्थित ग्राम गंभीर सिंह का पुरा के सामने, फरियादी नाथूराम को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें, तथा सहअभियुक्त राजेन्द्र के साथ मिलकर फरियादी नाथूराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त अतर सिंह ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

02. प्रकरण में अन्य आरोपी राजेन्द्र को निर्णय दिनांक 08 / 03 / 2016 के अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 11 / 08 / 2007 को फरियादी नाथूराम के घर स्थित ग्राम गंभीर सिंह का पुरा के सामने, आरोपीगण द्वारा फरियादी नाथूराम से गलौच करने, मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा कुल्हाड़ी एवं लाठी से मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी नाथूराम द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना पंजीबद्ध की गई और फरियादी का मेडीकल कराया गया। फरियादी नाथूराम की मेडीकल रिपोर्ट में धारदार आयुध से चोट पहुँचाये जाने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92 / 07 अन्तर्गत धारा 504, 323, 324 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी नाथूराम, साक्षी राजो, आतमदास एवं बिजेन्द्र के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त अतर सिंह पर भा.द.सं. की धारा 504, 323/34 एवं 324 का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी अतर सिंह ने दिनांक :- 11/08/2007 को फरियादी नाथूराम के घर स्थित ग्राम गंभीर सिंह का पुरा के सामने, फरियादी नाथूराम को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें?

02. क्या आरोपी अतर सिंह ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्त राजेन्द्र के साथ मिलकर फरियादी नाथूराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त अतर सिंह ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी नाथूराम की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष ?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रं. 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी नाथूराम अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 27/02/2008 से लगभग चार-पाँच माह पूर्व की ग्यारह तारीख को दिन के दस बजे की है, उस समय वह अपने घर पर था, उसके गांव का अमृतलाल उसके खेतों पर पार डाल रहा था। अमृतलाल के खेत उसके खेतों से लगे हुये है। उसके गांव से उसके खेत एक फर्लांग की दूरी पर होंगे। साक्षी आगे कहता है कि उसकी घरवाली ने

अमृतलाल को मेड़ तोड़कर उसके खेत में डालते देखा था। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी खेत से घर आई और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर रही थी, उसकी पत्नी ने उसे भी बताया था, उसकी पत्नी आसपास के लोगों को इकट्ठा करके ले जा रही थी, वहीं पर आरोपी राजेन्द्र की माँ उसके दरवाजे के पास उसे मिली, उसने उससे पूछा कि क्या हो रहा है। साक्षी आगे कहता है कि उसने कहा कि अमृतलाल खेत की पाड़ तोड़ रहा है और खेत में पाड़ डाल रहा है, जिसके लिए आदमी इकट्ठे करके ले जा रही है। साक्षी आगे कहता है कि तभी राजेन्द्र की माँ ने उसे गाली देते हुए कहा कि तू क्यों खड़ा है, तुझमें दम हो तो तू भी जा। साक्षी नाथूराम अ.सा.01 का कहना है कि तभी राजेन्द्र भी खेत पर से उसके घर के पास ही भाग कर आ गया और वह भी आकर गालियाँ देने लगा और बोला कि तेरी माँ चोदू, तू यहीं खड़ा रह, अभी तुझे बताता हूँ। राजेन्द्र भागकर घर से लाठी ले आया और उसने आकर उसके पीठ में लाठी बखा के पास मारी। साक्षी आगे कहता है कि तभी राजेन्द्र का भाई अतर सिंह भी कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने कुल्हाड़ी मारी जो बाई आंख के उपर भाँ से नीचे की ओर लगी। साक्षी आगे कहता है कि उसके काफी चोटें आई थी, खून निकल आया था। दूसरी कुल्हाड़ी मारी जो उसके दाहिने हाथ के अंगूठे में लगी, कट गया था, घाव होकर खून निकल आया था। साक्षी आगे कहता है कि तभी गांव के बहुत सारे लोग आ गये थे, जिन्होंने बीच-बचाव किया और वहाँ से पहले चौकी झाँकरी ले गये थे, जहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब थाना मौ ले गये थे, वहाँ पर रिपोर्ट लिखी गई थी। उसे डॉक्टरी के लिए अस्पताल मौ भेजा गया था, जहाँ पर उसकी डॉक्टरी हुई थी। उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि घटना के आठ-दस दिन बाद पुलिस ने उसके द्वारा घटनास्थल दिखाये जाने पर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस की पूछताछ में उसने उक्त सारी बातें बता दी थी, जो उसके द्वारा न्यायालय में बताई गई है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में नाथूराम अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी राजो अ.सा.02 झगड़े के समय हार पर थी, जहाँ अमृतलाल मेड़ डाल रहा था। नाथूराम की अ.सा.01 की पत्नी राजो अ.सा.02 ने भी उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब उसके पति से झगड़ा हुआ था, उस समय वह मौके पर नहीं थी, बल्कि अमृतलाल के पास वहाँ पर थी, जहाँ अमृतलाल पाड़ डाल रहा था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि नाथूराम अ.सा.01 की पत्नी राजो अ.सा.02 घटना की चक्षुदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है।

10. आहत नाथूराम अ.सा.01 का प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि झगड़ा 11 तारीख ग्यारवें महीने में हुआ था। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 11/08/2007 की है। मुख्य परीक्षण में यह साक्षी नाथूराम अ.सा.01 उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 27/02/2008 से चार-पाँच माह पूर्व

अर्थात् सितम्बर-अक्टूबर 2007 में घटना होना बताता है। इस प्रकार घटना के माह के संबंध में साक्षी नाथूराम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 11/08/2007 की है और नाथूराम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 27/02/2008 को अर्थात् लगभग 06 माह पश्चात् अंकित किया गया है और यह अवधि इतनी ज्यादा नहीं है कि जिसमें आहत को घटना के माह की याद न रहे।

11. साक्षी नाथूराम अ.सा.01 प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहता है कि झगड़ा दस-ग्यारह बजे के करीब हुआ था, अभियोजन कथा के अनुसार भी झगड़ा लगभग ग्यारह बजे हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि झगड़ा ग्यारह बजे नहीं हुआ था, बल्कि दस बजे हुआ था और उसने रिपोर्ट में झगड़े का समय दस बजे लिखाया था। उल्लेखनीय है कि आहत नाथूराम द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 में घटना का समय 11 बजे लिखा हुआ है। इस प्रकार घटना के समय के संबंध में भी नाथूराम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण है।

12. प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नाथूराम अ.सा.01 का कहना है कि उसको कुल्हाड़ी बगल से मारी गई थी, सामने से नहीं और राजेन्द्र ने जो कुल्हाड़ी मारी थी वह बाईं तरफ से मारी गई थी, जो भौं एवं आंख के उपर लगी थी। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार कुल्हाड़ी का प्रहार आहत नाथूराम पर आरोपी अतर सिंह द्वारा किया गया था, ना कि पूर्व में दोषमुक्त आरोपी राजेन्द्र द्वारा। इस प्रकार इस तथ्य के संबंध में आहत नाथूराम का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण है। क्योंकि वह मुख्य परीक्षण में अतर सिंह द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट करने का तथ्य बताता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नाथूराम अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि भीड़-भाड़ में वह यह नहीं देख पाया था कि किसने चोट मारी थी और साक्षी ने स्वतः कहा है कि अतर सिंह ने चोट पहुँचाई थी। इस प्रकार आहत नाथूराम अ.सा.01 को कुल्हाड़ी की चोट किस आरोपी द्वारा कारित की गई थी या आरोपीगण द्वारा ही उसकी मारपीट की गई थी, इस वावत् आहत नाथूराम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण है।

13. साक्षी आत्मदास अ.सा.03 एवं बिजेन्द्र सिंह अ.सा.04 जो कथित रूप से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं, ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं लिया है। फलतः इन साक्षीगण की साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

14. अभियोजन साक्षी डॉ.सी.बी.आर्या अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 11/08/2007 को सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के आरक्षक क्रमांक 293 सोवरन सिंह द्वारा आहत नाथूराम पुत्र मगने उम्र 57 वर्ष जाति जाटव निवासी गंभीर सिंह का पुरा का

मेडीकल परीक्षण करने पर एक कटी हुई चोट जिसका आकार 03 से.मी. जो बाईं तरफ उपर की भौं में मध्य में थी। एक कटी हुई चोट 04 से.मी. गुणा हाफ जो बाये गाल के मध्य भाग में थी। फटी हुई चोट हाफ से.मी. गुणा हाफ से.मी.गुणा हाफ से.मी., जो बाये अंगूठे में अग्र भाग में थी। एक फटी हुई चोट हाफ से.मी. गुणा हाफ से.मी. गुणा हाफ से.मी., जो दाये अंगूठे में अग्र भाग में थी। मूंदी चोट जिसका आकार 04 से.मी. गुणा 02 से.मी. जो लालामी लिए हुये नीले कलर की थी, जो बाईं तरफ पीठ के उपर थी। मूंदी चोट जिसका आकार 06 से.मी. गुणा 02 से.मी. जो लालामी लिए हुये नीले कलर की थी, जो गर्दन के पीछे की तरफ थी। साक्षी आगे कहता है कि चोट क्रमांक 01 एवं 02 धारदार आयुध द्वारा पहुँचाई गई थी। चोट क्रमांक 03 लगायत 06 किसी सख्त एवं भौथरी वस्तु से पहुँचाई गई थी। उक्त समस्त चोटें साधारण प्रकृति की होकर उसके परीक्षण के 06 घण्टे के अन्दर की थी। इस वावत् उसके द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में डॉ.सी.बी.आर्या अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत को बाईं आंख की भौं के उपर आई चोट, आहत के दोनों हाथों के अंगूठों में आई चोट कुल्हाड़ी जैसे हथियार से नहीं आ सकती है। इस प्रकार डॉ.सी.बी.आर्या अ.सा.05 के मुख्य परीक्षण कथन, एवं उसके द्वारा दिये गये प्रति-परीक्षण के कथन के मध्य आहत को हाथों में आई चोटों की प्रकृति के संबंध में विरोधाभास है और नाथूराम अ.सा.01 द्वारा दर्शित उसकी चोटों एवं उन्हें कारित करने वाले आयुध की प्रकृति के संबंध में उसके तथा डॉ.सी.बी.आर्या अ.सा.05 न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है, क्योंकि आहत नाथूराम अ.सा.01 ने उसके हाथ में आई चोट कुल्हाड़ी से कारित होना बताया है, जबकि डॉ.सी.बी.आर्या अ.सा.05 ने उसके हाथ में आई चोट कुल्हाड़ी से कारित ना होने का तथ्य दर्शित किया है।

16. अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक मोहम्मद खॉ अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/08/2007 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक कृष्ण बिहारी दुबे द्वारा उसे अपराध क्रमांक 92/2007 अन्तर्गत धारा 324, 323, एवं 504 भा.द.सं. की प्रथम सूचना विवेचना हेतु सुपुर्द की थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटनास्थल पर पहुँचकर फरियादी नाथूराम की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा साक्षी नाथूराम, राजो, बिजेन्द्र, आत्मदास के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसके द्वारा आरोपीगण राजेन्द्र एवं अतर सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.06 एवं प्र.पी.07 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा मकान तलाशी पंचनामा बनाया था, जो प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मकान की तलाशी लिये जाने पर भी प्रकरण में कथित रूप से घटना में प्रयुक्त डण्डा एवं कुल्हाड़ी जब्त नहीं हुये हैं।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन साक्ष्य संदेहास्पद है और अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अतर सिंह ने दिनांक : 11/08/2007 को फरियादी नाथूराम के घर के सामने स्थित ग्राम गंभीर सिंह का पुरा में, फरियादी नाथूराम को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें एवं सहअभियुक्त राजेन्द्र के साथ मिलकर फरियादी नाथूराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपीगण में से किसी ने आहत नाथूराम की कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की, क्योंकि जब एक मात्र अभियोजन साक्षी के साक्ष्य पर अभियोजन कथा को प्रमाणित किया जाना निर्भर हो तो ऐसे अभियोजन साक्षी का साक्ष्य संदेह से परे एवं विसंगति रहित होना चाहिए। जबकि हस्तगत प्रकरण में नाथूराम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विसंगतियों से परिपूर्ण है।

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी अतर सिंह के विरुद्ध धारा 504, 323/34 एवं 324 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त अतर सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504, 323/34 एवं 324 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद